

भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
रक्षा विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1032
24 जुलाई, 2026 को उत्तर के लिए

सशस्त्र बल न्यायाधिकरण में लंबित मामले और रिक्तियां

1032. श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सच है कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) के समक्ष 35,000 से अधिक मामले लंबित हैं;
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की प्रधान और क्षेत्रीय पीठों के समक्ष लंबित मामलों की संख्या कितनी है;
- (ग) उक्त मामले कितने समय से लंबित हैं; और
- (घ) सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की प्रधान और क्षेत्रीय पीठों में सदस्यों और कर्मचारियों की वर्तमान संख्या और रिक्तियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय सेठ)

(क) से (ग) जी नहीं।

(घ) सदस्यों और कर्मचारियों की वर्तमान संख्या और रिक्तियों का पीठों-वार ब्यौरा संलग्न है।

“सशस्त्र बल न्यायाधिकरण में लंबित मामले और रिक्तियां” के बारे में लोक सभा में दिनांक 24.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 1032 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पीठ	सदस्य		स्टाफ	
	वर्तमान संख्या	रिक्तियां	वर्तमान संख्या	रिक्तियां
प्रधान पीठ, नई दिल्ली	6	0	65	38
चंडीगढ़	5	1	63	26
लखनऊ	4	2	57	31
मुंबई	2	0	33	12
कोच्चि	1	1	35	15
चेन्नई	1	1	24	15
जयपुर	2	0	25	16
श्रीनगर (जम्मू में कार्यरत)	0	2	14	04
जबलपुर	0	2	14	03
गुवाहाटी	0	2	12	22
कोलकाता	1	1	17	23
